76

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्याःबारह/ए–चिकित्सा निर्देश–2011 दिनांकःसितम्बर 29 ,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 ।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समांक परिपत्र दिनांक 24.07.2013, 13.09.2013, 4.4.2014 एवं दिनांक 15.07.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत करते हुए पुलिस विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्गत होने वाले हेल्थ कार्ड के रख रखाव के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किया गया है :–

(I) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पेशन प्राप्त करने वाले जनपद से हेल्थ कार्ड निर्गत किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी कार्यालयाध्यक्ष होगें।

(II) सेवानिवृत्त कर्मियों के हेल्थ कार्ड हेतु एक अलग रजिस्टर बनाया जाय जिसमें कार्ड निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक हेल्थ कार्ड में अंकित समस्त सूचनायें क्रमवार अंकित की जाय।

(III) रजिस्टर के जिस क्रमांक पर लाभार्थी का नाम व उसका विवरण अंकित किया जाय वहीं क्रम संख्या हेल्थ कार्ड पर अंकित की जायेगी।

(IV) हेल्थ कार्ड पर परिवार के सदस्यों का फोटो चस्पा करके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(V) हेल्थ कार्ड लाभार्थी को पालीथीन के कवर में दिया जायेगा।

(VI) यदि परिवार का कोई सदस्य, जिनका विवरण हेल्थ कार्ड में अंकित किया गया हो, लाभार्थी का आश्रित नहीं रह जाता है तो उसका नाम हेल्थ कार्ड व रजिस्टर से खारिज कर दिया जाए।

(VII) यदि परिवार के सदस्यों में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका पूर्ण विवरण हेल्थ कार्ड व रजिस्टर में अंकित किया जाय।

(VIII) हेल्थ कार्ड क्षतिग्रस्त होने अथवा फट जाने पर उसे जमा कराकर नया हेल्थ कार्ड रजिस्टर के उसी क्रम संख्या पर निर्गत किया जाएगा। दूसरा कार्ड जारी करते समय रू0 50/– जमा कराया जाएगा, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(IX) हेल्थ कार्ड खो जाने की दशा में यह कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि वह पूर्णरूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नवीन हेल्थ कार्ड जारी करेगें, किन्तु इस हेल्थ कार्ड पर राजिस्टर का वही क्रमांक अंकित किया जाएगा, जिस पर लाभार्थी को पूर्व में हेल्थ कार्ड निर्गत किया गया था।

2– अतः अनुरोध है कि आप अपने–अपने जनपदों से सेवा निवृत्त पुलिस कर्मी जो पेंशन कोषागार से आहरित कर रहे हो उनका हेल्थ कार्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शीघ्र जारी कराने का कष्ट करें, ताकि सेवा निवृत्त पुलिस कमिर्यो को कोई असुविधा न हो सके।

29.9.14

(ऋचा सिंह)
विशेष कार्याधिकारी, कल्याण,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि सचिव, उ0प्र0 पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान, कमरा नं0 419, इन्द्रिरा भवन, अशोक मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से सभी सेवा निवृत्त कर्मियों को उचित माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।